76

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष मनोज गोयल,

प्रशासकीय सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1227-III/2003 विरूद्ध आदेश दिनांक 14–02–2003 पारित द्वारा अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के प्रकरण क्रमांक 05 / निग. / 1990–91

शिवचरण लाल आ0 मगलसिंह
निवासी कटला मोहल्ला सिरोंज
जिला विदिशा म0प्र0

.........आवेदक

विरूद्ध

श्रीमती ललतोबाई मृतक वारिसान
1–कलाबाई पत्नि भग्गी उर्फ भागीरथ पुत्री हरलाल व स्व.ललतोबाई
निवासी ग्राम खेरखेडी तहसील मुंगावली जिला गुना
2–पार्वतीबाई पत्नि बेनीप्रसाद पुत्री हरलाल व स्व.ललतोबाई
निवासी रानापुरा वार्ड सिरोंज जिला विदिशा
3–कमती बाई पत्नि देवीसिंह पुत्री हरलाल व स्व.ललतोबाई
निवासी ग्राम मुरवारा तहसील लटेरी जिला विदिशा

.........अनावेदकगण

....

श्री अनोज गुप्ता अभिभाषक आवेदक
श्री आर.एन.गौर, अभिभाषक अनावेदक वारिसान क्रमांक 2
अनावेदक वारिसान क्रमांक 1 व 3 एकपक्षीय

:: आ दे श ::

(आज दिनांक / / को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के प्रकरण क्रमांक 05 / निग. / 1990–91 में पारित आदेश दिनांक 14–02–2003 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता सन् 1959 (जिसे आगे केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2— प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक ने अधीनस्थ तहसील न्यायालय के समक्ष एक आवेदन पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि कस्बा सिरोंज का खसरा कमांक 1511 और 1456 पर उसका कब्जा है, जिसका इंद्राज रिकार्ड में किया जाये। तहसील न्यायालय ने जॉचोपरांत प्रकरण कमांक 38/अ—6/1980—81 में पारित आदेश दिनांक 11—8—1981 के द्वारा आवेदक का आवेदन पत्र स्वीकार करते हुये वर्ष 1980—81 में कब्जा दर्ज करने के आदेश दिये । तहसील न्यायालय का उक्त आदेश अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील प्रकरण कमांक 8/1981—82 में पारित आदेश दिनांक 10—8—1982 तथा अतिरिक्त आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा अपील प्रकरण कमांक 314/1981—82 में पारित आदेश दिनांक 26—10—1983 के द्वारा स्थिर रखा । अतिरिक्त आयुक्त के आदेश विरूद्ध निगरानी राजस्व मण्डल के प्रकरण कमांक 148—पॉच/1983 में पारित आदेश से प्रकरण का निराकरण गुणदोषों के आधार पर करने के निर्देश के साथ तहसील न्यायालय को प्रकरण प्रत्यावर्तित किया । प्रत्यावर्तित प्रकरण में तहसील न्यायालय द्वारा कार्यवाही प्रारंभ की जिसमें अनावेदक ने एक आवेदन पत्र प्रस्तुत करते हुये प्रकरण की ग्राह्यता पर आपत्ति उठाई गई जिसका निराकरण तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक के पक्ष में आदेश दिनांक 28—2—1987 के द्वारा किया गया परन्तु अधीनस्थ जिलाध्यक्ष न्यायालय ने आलौच्य आदेश द्वारा तहसील न्यायालय के आदेश को निरस्त करते हुये आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन को ग्राह्य योग्य नही मानते हुये निरस्त करने के आदेश दिये। जिलाध्यक्ष द्वारा पारित आदेश दिनांक 18—7—1990 के विरूद्ध निगरानी अपर आयुक्त न्यायालय में प्रस्तुत की गई जो अपर आयुक्त के प्रकरण कमांक 05/निग./1990—91 में पारित आदेश दिनाक 14—02—03 से निरस्त की गई । अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 14—02—2003 से व्यथित होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3— प्रकरण में आवेदक के अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क प्रस्तुत किये जिसमें मुख्य रूप से यह आधार लिया कि आवेदक ने वर्ष 1981 में तहसील न्यायालय के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि कस्बा सिरोंज के खसरा कमांक 1511 और 1456 पर उसका

कब्जा है अतः उसका कब्जा रिकार्ड में दर्ज किया जावे । तहसील न्यायालय ने जांच करने के उपरांत आवेदक का कब्जा आवेदन पत्र स्वीकार करते हुये उसका कब्जा रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश दिये । तहसील न्यायालय के आदेश का अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय तथा अपर आयुक्त न्यायालय में अपील होने पर उनके तहसील न्यायालय के आदेश को स्थिर रखा । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध निगरानी प्रकरण कमांक 148–पॉच / 1983 में राजस्व मण्डल द्वारा आदेश पारित करते हुये प्रकरण का निराकरण गुणदोषों के आधार पर करने के निर्देश के साथ तहसील न्यायालय को प्रकरण प्रत्यावर्तित किया । तहसील न्यायालय ने प्रत्यावर्तित प्रकरण में सुनवाई करते हुये अनावेदक की आपत्ति निरस्त की । जिसके विरूद्ध अनावेदक द्वारा अधीनस्थ कलेक्टर न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की जो स्वीकार की जाकर यह आदेश दिया कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र चलने योग्य नहीं होने से निरस्ती योग्य है । जिसके विरूद्ध आवेदक ने अपर आयुक्त न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की जो अपर आयुक्त द्वारा निरस्त की । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई। लिखित तर्क में यह भी बताया कि तहसील न्यायालय में अनावेदक के द्वारा प्रकरण की ग्राह्यता पर आपत्ति उठायी गई थी जिसका निराकरण तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक के पक्ष में किया गया परन्तु दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने इस ओर ध्यान न देकर जो आदेश पारित किया है वह उचित नहीं है । कलेक्टर न्यायालय ने केवल अनावेदक द्वारा प्रस्तुत उत्तर के आधार पर ही विचाराधीन आदेश पारित किया है । अनावेदक द्वारा आपत्ति में उठाये गये बिन्दु तथ्यों पर आधारित थे जिन्हें बिना साक्ष्य के प्रमाणित नहीं माना जा सकता था । दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने इन तथ्यों की ओर ध्यान नहीं दिया कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र संहिता की धारा 115, 116 के अन्तर्गत ग्राह्य योग्य नहीं है । आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र में मौके पर कब्जा के आधार पर रिकार्ड में कब्जा दर्ज करने की प्रार्थना की गई है । मौके पर कब्जा दर्ज करने की कार्यवाही संहिता की धारा 121 के अधीन बने नियम 8 के अन्तर्गत की जाती है इसलिये अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश रिकार्ड का अवलोकन किये बिना पारित किये गये हैं जो अवैधानिक हैं । दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष भूमि विक्रय किये जाने के संबंध में अनावेदक द्वारा

कोई पुष्ट प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है इसके विपरीत भूमि बचन के संबंध में जॉच किये बिना एवं बिना प्रमाण के जो मत व्यक्त किया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्ती योग्य है । दोनों अधीनस्थ न्यायालयों का यह मत भी त्रुटिपूर्ण है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र समय सीमा में प्रस्तुत नहीं किया जबकि आवेदक द्वारा वर्ष 1981–82 मे इंद्राज के लिये समय सीमा में ही आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था । अंत में आवेदक अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया कि निगरानी स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाने का अनुरोध किया है ।

4– अनावेदक वारिसान कमांक 2 की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा तर्क मे यह बताया कि अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश विधिसंगत एव उचित होने से स्थिर रखा जाकर निगरानी खारिज किये जाने का अनुरोध किया गया।

5– उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों का सूक्ष्मता से अवलोकन किया गया । आवेदक द्वारा अनावेदिका के स्वत्व की भूमि पर अपने कब्जे की प्रविष्टि को लेकर यह प्रकरण चल रहा है । अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा अलग–अलग समय पर अपने कब्जे की तिथियॉ अलग–अलग बताई गई है जिनका विवरण अपर आयुक्त के आदेश में दिया गया है । कलेक्टर ने अपने आदेश मे विस्तार से नियमों का हवाला देते हुये स्पष्ट किया है कि तहसीलदार ने अपने आदेश करने से पूर्व इन नियमों का पालन नहीं किया जबकि इस निगरानी में आवेदक इन्हीं नियमों का अवलम्बन लेना चाह रहा है । भूमि विकय तथा कब्जा प्रविष्टि अलग अलग विषय है । स्वत्वाधिकारी द्वारा भूमि विकय किया जा सकता है अत: इस आधार पर भी निगराकार को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है । अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्षो में परिवर्तन के कोई आधार नहीं है । अत: यह निगरानी अमान्य की जाती है ।

(मनोज गोयल)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर